राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(14)नविवि/Empa. Consultant/2017 जयपुर, दिनांक :– 21 JUN 2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विभागीय आदेश कमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 के द्वारा नगरीय निकायों में तकनीकी कार्यो हेतु कन्सलटेन्ट का पेनल तैयार किया गया था, जो कि लागू होने के पश्चात तीन वर्ष अवधि के लिए प्रभावी था। शहरी जन कल्याण शिविरों के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में नियमन संबंधी विभिन्न कार्यो की अधिकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक प.18(14)नविवि/Empa. Consultant/2017 दिनांक 03.03.2017 के द्वारा उक्त पेनल की अवधि को दिनांक 31.03.2018 तक बढाया गया था। अनेक नगरीय निकायों द्वारा एम्पैनल्ड कन्सलटेन्ट की सेवाओं की अवधि बढाया जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये थे। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 31(1) के प्रावधानानुसार उक्त एम्पैनल्ड कन्सलटेन्टस की सेवावधि बढाया जाना नियमानुकूल नही है।

अतः नगरीय निकायों में कन्सलटेन्टस के माध्यम से किये जाने वाले कार्य के महत्व एवं आवश्यकता के दृष्टिगत निकाय स्तर पर अल्पकालीन निविदा/ई.ओ.आई आमंत्रित कर कार्य संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

21/6/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव--प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

29/6/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम